

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-2022(पार्ट) **6545** न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- **10/06/25**

श्री शुभम कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर के अवकाश अवधि (दिनांक-28.05.2025 से दिनांक-24.06.2025 तक कुल 28 दिनों की उपार्जित अवकाश) में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत श्री कुन्दन कुमार, बि०प्र०से० अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022(पार्ट) **6545** /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- **10/06/25**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारदाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ श्री शुभम कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/ श्री कुन्दन कुमार, बि०प्र०से० अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।